



2026:AHC-LKO:5203-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 230 सन 2026

सरोज मौर्य उर्फ सरोज मुराव

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, लखनऊ, द्वारा
सचिव एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : शोभित हर्ष, अमरजीत गौतम, प्रभात कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शोभित मोहन शुक्ला, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. रेरा के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित मोहन शुक्ला को उत्तर प्रदेश रेरा से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि वे न्यायालय को सूचित करें कि राजस्व अधिकारियों को जारी किया गया वसूली प्रमाण पत्र रेरा को यह कहते हुए लौटा दिया गया है कि संबंधित कंपनी का कार्यालय पता नहीं चल पा रहा है और इसलिए वसूली करना संभव नहीं है।
3. तदनुसार, याचिकाकर्ता को अन्य उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निस्तारण किया जाता है और रेरा को कानून के अनुसार कार्यवाही करने की अनुमति दी जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 22, 2026

शान्/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।